



2026:AHC:43154

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या -7595 सन् 2026

राम नारायण

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अमल दरसिंह, गीतांजलि, जितेन्द्र

सिंह, राम चन्द्र

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी कर इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से स्वयं को आहत अनुभव करता/करती है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रार्थना करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रतिवादी संख्या-2/उपजिलाधिकारी, तहसील देवरिया, जनपद देवरिया को निर्देशित किया जाए कि वाद संख्या T202505200127885 का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत दायर प्रार्थना-पत्र काफी समय से लंबित है। इस चरण पर उक्त उपधारा (3) का उल्लेख करना उपयुक्त होगा, जो यह अनिवार्य करती है कि ऐसा आवेदन प्रस्तुत होने पर संबंधित प्राधिकारी उसे विधि के अनुरूप समयबद्ध अवधि में निस्तारित करेगा। धारा 24(3) का पाठ निम्नलिखित है:-

"(3) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, यथासंभव, आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा निष्पादित की जाएगी।"

5. उपर्युक्त प्रावधान तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या-2/उपजिलाधिकारी, तहसील देवरिया, जनपद देवरिया को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाद को ग्रहण कर उसके गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार यथाशीघ्र निस्तारित करें, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, बिना अनावश्यक स्थगन प्रदान किए, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

25 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।